[8/3/2021]

प्रश्न सं. [क. 3246]

विधान सभा तारांकित प्रश्न कमांक 3246 के उत्तरांश 'क' से संबंधित
परिशिष्ट–1

भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 76 (घ) के तहत राज्य शासन को इस अधिनियम के उपबंधों को कियान्वित करने के लिये अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके तहत मध्यप्रदेश वनोपज (जैवविविधता का संरक्षण और पोषणीय कटाई) नियम 2005 बनाये गये हैं, जिसकी धारा 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8 में वनों से वनोपज के संग्रहण, प्रतिबंध अवधि निर्धारण एवं निष्कर्षण को प्रतिबंधित करने के अधिकार उप वन संरक्षक स्तर से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी को दिये गये है। इस अधिनियम की धारा 10 में उक्त नियमों के उल्लंघन हेतु शास्ति का प्रावधान है। जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 7 अनुसार ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है या ऐसा निगमित निकाय, संगम या संगठन हैं जो भारत में रजिस्ट्रीकृत है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए कोई जैव संसाधन या वाणिज्यिक उपयोग के लिए या जैव संरक्षण और जैव उपयोग के लिए संबद्ध राज्य जैव विविधता बोर्ड को पूर्व इत्तिला देने के पश्चात् ही अभिप्राप्त करेगा, अन्यथा नहीं: परंतु इस धारा के उपबंध स्थानीय व्यक्ति या उस क्षेत्र के समुदायों को लागू नहीं होंगे जिनके अंतर्गत जैव विविधता के उगाने वाले और कृषक, और ऐसा वैद्य और हकीम है जो देशी औषधियों कां व्यवसाय कर रहे है। इस अधिनियम की धारा 55 (2) के अंतर्गत धारा 7 के उल्लंघन हेतु शक्ति का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रावधान के उल्लंघन हेतु कार्यवाही के लिये परिक्षेत्राधिकारी एवं उससे वरिष्ठ वन अधिकारी प्राधिकृत है।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
वन विभाग (कक्ष 3)
मंत्रालय, भोपाल

R